संख्या-109/2020/1921/26-3-2020

प्रेषक,

मनोज सिंह
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण,
उ0प्र0 लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक: 07 सितम्बर 2020

विषय:-**राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों में अध्ययनरत् छात्र/छात्राओं के उपयोगार्थ यूनिफार्म इत्यादि की आपूर्ति के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-582/स0क0/आ0प0वि0-प्रकोष्ठ(158)/ल0दे0भुग0/2020-21, दिनांक-24.07.2020 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों में अध्ययनरत् छात्र/छात्राओं के उपयोगार्थ यूनिफार्म इत्यादि की आपूर्ति के सम्बन्ध में अवशेष धनराशि का भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2- इस संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरांत राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों में अध्ययनरत् छात्र/छात्राओं के उपयोगार्थ यूनिफार्म इत्यादि की आपूर्ति के सम्बन्ध में संस्था यूपिका, लखनऊ के बिल की अवशेष धनराशि के रूप में **रूपये-3,02,13,016 /-(रू0 तीन करोड़ दो लाख तेरह हजार सोलह मात्र)** के भुगतान हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान संख्या-83 के लेखाशीर्षक-2225-01-789-12-राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय-43-सामग्री सम्पूर्ति मद में प्राविधानित धनराशि रू0-2860.00 लाख में से व्यय किये जाने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है:-

(1)-एकमुश्त व्यवस्था के सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक-24.03.2020 में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2)-यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।

(3)-धनराशि का आवंटन बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही किया जायेगा।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

(4)-वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/मद हेतु किया जायेगा।

(5)-यह सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्यों की द्विरावृत्ति नहीं हो रही है।

(6)-अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय एकमुश्त न करके आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को बैंक खाते आदि में नहीं रखा जायेगा।

भवदीय,

मनोज सिंह
अपर मुख्य सचिव।

पृ.संख्या-109/2020/1921(1)/26-3-2020 तददिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी/लेखापरीक्षा) प्रथम,उ0प्र0,इलाहाबाद।
2. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
3. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
4. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

राकेश कुमार सचान
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।